न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 58/2016 अपील
पंजीयन दिनांक – 27–06–2016
निर्णय दिनांक – 11.12.2017

श्रीमती लेहरी बाई बेवा उदयराम जी अहीर, निवासी सोमी, तहसील राशमी जिला चितौड़गढ़ (राज.)

–अपीलान्ट

बनाम

श्री लालुराम पिता नाथूजी अहीर, निवासी सोमी, तहसील राशमी, जिला चितौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित–

1– श्री नरेश जणवा – अधिवक्ता अपीलान्ट
2– श्री बी. एल..पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार राशमी दिनांक 16.12.2015 प्र.सं. 10/2015.

निर्णय

दिनांक 11.12.2017

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–76 के अन्तर्गत तहसीलदार राशमी दिनांक 16.12.2015 प्र.सं. 10/2015. के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सोमी पटवार क्षैत्र सोमी , तहसील राशमी जिला चितौड़गढ़ के आराजी नं. 655 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि के मूल खातेदार श्री उदयराम पिता नन्दा अहीर थे। उदयराम जी का स्वर्गवास दिनांक 05.10.2014 को हुई। श्री लालुराम ने एक अनरजिस्टर्ड वसीयत तहसीलदार राशमी के समक्ष पेश की जिस पर तहसीलदार राशमी ने उदयराम द्वारा उसके जीवन काल में दिनांक 11.11.2001 को श्री लालुराम के पक्ष में लिखी वसीयत है जो अन्तिम वसयीत होकर सही साबित करते हुए कथित भूमि श्री लालुराम पिता उदयराम के नाम दर्ज करने का आदेश पटवारी हल्का सोमी को दिनांक 16.12.2015 को दिया गया तथा उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण सख्या 1783 दिनांक 12.02.2016 को स्वीकृत किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया। तहत का अभिलेख मंगाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 20.11.2017 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि अपीलान्ट के पति की मृत्यु दिनांक 05.10.2014 को हुई तथा उक्त भूमि उसने अपने नाम कराने हेतु तहसीलदार राशमी के समक्ष दिनांक 22.06.2015 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया। उसी दरम्यान रेस्पों. की नियत खराब हुई और उसके पति के नाम का एक जाली स्टाम्प मंगवाया और उस पर एक फर्जी वसीयत तैयार कर तहसीलदार राशमी के समक्ष पेश की जिस पर तहसीलदार राशमी ने रेस्पों. के नाम पर नामान्तरकरण खोलने का आदेश दिया उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1783 तस्दीक किया गया। अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने का आदेश पारित किया है, जबकि अनरजिस्टर्ड वसीयत की सत्यता की जॉच करने का उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है और न ही वे वसीयत के बारे में जॉच ही कर सकते है। वसीयत जैसे और विरासत जैसे विधिक बिन्दू का निर्धारण नामान्तरकरण की समरी प्रोसेडींग में तय नहीं किये जा सकते है और न ही यह पता लगाया जा सकता है कि नामान्तरकरण जिस वसीयत के आधार पर खोला गया हैं वह वसीयत सही है या गलत है। या उसके विधिक उत्तराधिकारी कौन कौन है आदि सभी बिन्दू साक्ष्य के आधार पर तये किये जा सकते है। रेस्पों. ने वाद घोषणा इन्द्राज दुरस्ती व निषेधाज्ञा का सहायक कलक्टर राशमी में दिनांक 22.06.2015 को पेश किया जिसके प्रकरण संख्या 38/2015 लालुराम बनाम लेहरी बाई वगैर थे। जिसको रेस्पोंडेन्ट ने दिनांक 27.05.2016 को राजस्व लोक अदालत में उपस्थित हो वाद पत्र नोट प्रेस कर दिया

और उसने गुप चुप तरीके से उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही को भी पेरेलर जारी रखवाया और नामान्तरकरण दिनांक 12.02.2016 के खुलवा लिया तथा उपखण्ड अधिकारी राशमी ने स्थगन भी जारी किया हुआ था। दुरभी सन्धी कर न्यायिक प्रकिया का दुरुपयोग कर आदेश पारित किया गया जो काबिल निरस्त योग्य है। आगे यह भी बताया कि कथित भूमि पैतृक है और पैतृक भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती है और उसकी अर्थात मृतक उदयराम की पत्नी जिन्दा है जिसकी भी पटवार हल्का द्वारा जॉच नहीं की गई न उसके बयान लिये गये न भूमि की विधिक स्थिति के बारे में पता किया और मन मकसूद तरीके से दुरभी सन्धी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय से आदेश पारित करवा लिया, जो काबिल निरस्त के हैं। अन्त में 2009 (1) आर.आर.टी. पेज 500, 2016 (1) आर.आर.टी. पेज 307, 2017 (2) आर.आर.टी. पेज 1355 के न्यायिक दृष्टांत पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमायी जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2015 ब प्रकरण संख्या 10/2015 पारित किया गया है। जिसमें सभी अपेक्षित न्यायिक प्रकिया करने के पश्चात् रिपोर्ट पटवारी एवं पक्षकारान को नोटिस जारी कर तलब किया गया एवं गवाहों की साक्षी लेखबद्ध की गई विवादित नामान्तरकरण का आधार केवल मात्र यह है कि वसीयत नामा दिनांक 11.11.2001 को श्री उदयराम पिता नन्दा जी अहीर द्वारा बहक लालुराम रेस्पों. के पक्ष में किया गया है। जिसमें उक्त वसीयतनामें को लिखने वाले तथा उसकी साक्षी में तीन व्यक्तियों द्वारा दी गई है। जिसमें उन्होंने जाहिर किया कि उक्त वसीयत नामा निष्पादत कर्ता ने हमारे सामने लिखा गया तथा उनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी है। उक्त वसीयतनामा बिना किसी दबाव अथवा परलोभन के निष्पादित किया गया है। उक्त वसीयतनामा हर प्रकार से वैध एवं प्रभावी है। जिसके बाबत किसी भी अवस्था में संदेह अथवा उसका फर्जी होना नहीं माना जा सकता है। इसके उपरान्त भी यदि कोई हितबद्ध व्यक्ति उससे व्यथित होना माने उक्त अवस्था में उसे सक्षम कोर्ट में उसे चेलेन्ज कर सकता है। न कि नामान्तरकरण को चेलेन्ज करने की अधिकारिता धारण करता है। उक्त वसीयतनामें में यह भी अंकित है कि वसीयतकर्ता श्री उदयराम की उम्र 70 वर्ष एवं उसके कोई औलाद व वारिस भी नहीं है तथा उसके वर्तमान जीवनकाल में उसकी सेवा चाकरी एवं भरण पोषण का कार्य श्री लालुराम के द्वारा बखूबी निर्वाह कर रहा है। जिससे उसको पूर्ण रुप से यह आशा एवं विश्वास रहा है कि मेरे जीवनकाल में तथा मेरी पत्नी श्रीमती लेहरी बाई के जीवन काल में इसी प्रकार सेवा चाकरी करता रहेगा। जिससे उक्त वसीयतनामा निष्पादित किया गया है जो हर अवस्था में विश्वास कराये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट जो कि

मेरी गोद माता है जिसकी सेवा चाकरी मैं अभी भी पूर्ण रुप से कर रहा हूँ तथा भविष्य में भी रेस्पों. एवं उसका परिवार उनको किसी प्रकार से अपनी सेवा से वंचित नहीं रखेंगे। यहां तक निवेदन किया कि अपीलार्थी जो कि प्रत्यर्थी की गोद माता है। वह अपने जीवनकाल में विवादित भूमि की उपज एवं अन्य लाभ प्राप्त करे उसमें भी उसे कोई आपत्ति नहीं है। अपीलार्थी केवल मात्र अन्य लोगों के बहकावे में आकर उक्त जमीन को खुर्द बुर्द करना चाहती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित किया गया है जिसमें न तो कोई कानूनी चूक की गई है एवं नही कोई तथयात्मक चूक की गई है। जिससे अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाई जावे ऐसा कानून एवं न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार उचित एवं आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा जो बहस में निवेदन किया गया एवं न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये जो उक्त मामले में लागू नहीं होते है। क्योंकि कानून के अनुसार वसीयत नामा साबित करने के लिए लिखने वाले व्यक्ति एवं उसको दो साक्षी द्वारा प्रमाणित किया जाता है। उक्त अवस्था में इस वसीयत पर किसी प्रकार का सदेह अथवा फर्जी होना नहीं माना जा सकता है। कानून की भी यही मंशा है कि वसीयत नामा निष्पादित करने वाले व्यक्ति अपने गांव में रहता है। जिससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह अपने निकट कस्बा एवं शहर में जाकर उसको नोटेरी से प्रमाणित करावें अथवा उसका पंजीयन करावे। जिससे कानून के अनुसार वसीयत नामें के लिए निष्पादतकर्ता अथवा लेखबद्ध करने वाला तथा उसको दो साक्षी द्वारा प्रमाणित होना ही आवश्यक है। इसके अलावा नहीं। अन्त में अपील अपीलान्ट निरस्त फरमायी जाने का कथन किया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। मौजा सोमी पटवार क्षैत्र सोमी, तहसील राशमी जिला चितौड़गढ के आराजी नं. 655 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि के मूल खातेदार श्री उदयराम पिता नन्दा अहीर थे। यह तथ्य सही है कि तहसीलदार राशमी ने श्री लालुराम द्वारा अनरजिस्टर्ड वसीयत पेश करने पर प्रकरण दर्ज कर पटवारी हल्का सोमी को पक्षकार बना कर बयान गवाह के आधार पर दिनांक 16.12.2015 को आदेश पारित कर उपरोक्त आराजी श्री लालुराम पिता नाथू मु. उदेराम के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पों (पटवारी) पटवार हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकन किया है कि वसीयतकर्ता लों–औलाद फौत हुआ है एवं मृतक के एक बेवा लेहरी बाई होना जाहिर किया गया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय में मृतक की बेवा को प्रकरण में पक्षकार भी नहीं बनाया गया एवं न ही कोई सूचना दी गई। जिससे तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम प्रकरण में पक्षकारों को सुनकर नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार द्वारा पारित ओदश दिनांक 16.12.2015 निरस्त किया जाकर आदेश की पालना में पारित नामान्तरकरण संख्या 1783 दिनांक 12.02.2016 को भी अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार राशमी को प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाकर निर्देशित किया जाता है उपरोक्त विवेचित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों को सुनकर नये सिरे से आदेश मारित करे।

निर्णय आज दिनाक 11.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर